

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:एफ.02.सी.सी/स्वा.का.पु./2024/106 दिनांक : 3.6.24
आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)/एफडी/रुल्स/2017/दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानानुसार श्री राम किशन विशनोई, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांचौर जिनकी राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 22.01.1991 है तथा जिनके द्वारा राज्य सेवा में दिनांक 22.01.2018 को 27 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करली गई है को दिनांक 22.01.2018 से पे-बैंड/लेवल L-11 ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है।

उक्त स्वीकृत ए.सी.पी में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.02.सी.सी/स्वा.का.पु./2024/106

दिनांक : 3.6.24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सांचौर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांचौर।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम कमरा नं0 302 मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

RajKaj Ref
6007169

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :28-05-2024 04:51:34